भवन निर्माण विभाग

.....

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–3480, दिनांक–24.04.2017 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–27.04.2017 में मद संख्या–14 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

14.	बिहार भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2017 का गठन।	14. स्वीकृत।

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्र० सचिव का कार्यालय
मं० मं० कै० सं०
प्राप्ति
प्रेषित

अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2017 के गठन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.04.2017 की बैठक में मद संख्या 14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियाँ हस्ताक्षर हेतु उपस्थापित है। प्रधान सचिव महोदय का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाना है।

प्रधान की प्रतिलिपि की।

(68)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

41820 पटना, दिनांक: 19.5.17

सं0सं0 भवन 03/स्था0 विविध 07/2016 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार भवन निर्माण विभाग, अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग मे भर्त्ती को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**- (1)यह नियमावली, ''बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग नियमावली-2017'' कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।- इस नियगावली में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-**
   (i) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   (ii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार;
   (iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख अथवा विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी;
   (iv) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा उसके कार्यरत होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
   (v) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है, बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग;
   (vi) ''संवर्ग के सदस्य'' से अभिप्रेत है इस निमयावली के प्रावधानों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त एवं इसमें सम्मिलित व्यक्ति।

3. **संवर्ग का गठन।**- बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद ''कनीय अभियंता (विद्युत)'' होगा। इस पद के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा विनिश्चित वेतनमान एवं ग्रेड-पे देय होगा।

4. **स्वीकृत बल।**- इस संवर्ग का स्वीकृत बल, समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

5. **आरक्षण।**- राज्य में प्रवृत्त आरक्षण अधिनियम एवं तत्संबंधी अन्य प्रावधान तथा समय-समय पर सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

6. **नियुक्ति।**- इस संवर्ग में प्रथम नियुक्ति सीधी भर्त्ती के आधार पर कनीय अभियंता (विद्युत) के पद पर होगी।

7. नियुक्ति प्राधिकार, प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को रिक्तियों की गणना कोटिवार करेगा एवं तद्नुसार, विभाग के माध्यम से, आयोग को 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना भेज देगा।

8. नियम-7 के तहत दी गई अधियाचना के आधार पर, आयोग, समय समय पर, उस रीति से जैसा कि वह उचित समझे, इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को, सीधी भर्त्ती द्वारा सीधी नियुक्ति से भरने के लिए विज्ञापित करेगा।

9. **अहर्ताएँ।**- (1) इस संवर्ग में नियुक्त होने के लिए अहर्ता निम्नवत् होगी:
   (i) अवर अभियंत्रण संवर्ग के लिए विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी।
   (ii) चयन हेतु तकनीकी अहर्ता/पात्रता:-

कृ0पृ0उ0.....

(67)

(क) AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा समकक्ष योग्यता, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो, अथवा

(ख) Deemed University under UGC Act द्वारा निर्गत Non-Distance Diploma in Electrical Engineering अथवा समकक्ष योग्यता।

(2) विज्ञापन वर्ष के 1ली अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र न्यूतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय-समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए। किन्तु संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंताओं (विद्युत) हेतु अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की कुल अवधि (अधिकतम 10 वर्षो) की छूट अनुमान्य होगी।

10. **चयन की प्रक्रिया।**-(1) इस संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता (विद्युत) के पदों पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक तथा साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्त्ती की अर्हत्ता पूरी करते है, को चयन में इस नियम के उप नियम-(2) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी।

(2) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न आधार पर तैयार की जाएगी-

		पूर्णांक
(क)	डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर	- 60 अंक
(ख)	संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)	- 25 अंक
(ग)	साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा)	- 15 अंक
	कुल	- 100 अंक

(3) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चिय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट-आफ डेट की अवधि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

11. साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यार्थियों की संख्या रिक्तियों के अनुपात में, आयोग द्वारा विनिश्चित की जायेगी। साक्षात्कार में अलग से आयोग द्वारा विनिश्चित उर्त्तीणांक प्राप्त करना आवश्यक होगा। आयोग नियम-10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार करेगा एवं सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित करेगा। आयोग की अनुशंसा विभाग में इसकी प्राप्ति से एक वर्ष के लिए वैध होगी।

12. **परिविक्षा अवधि।** - नियुक्ति के पश्चात् सेवा/सम्वर्ग के सदस्यों की परिविक्षा अवधि दो वर्षो की होगी जिसे अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। परिविक्षा की विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नही पाये जाने पर संबंधित कर्मी को सेवामुक्त किया जा सकेगा।

13. **सम्पुष्टि।** परिविक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने तथा विहित विभागीय परीक्षा उर्त्तीण होने एवं कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के उपरांत संवर्ग के सदस्यों की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

14. **प्रोन्नति।**- कनीय अभियंता (विद्युत) के पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली में विनिश्चित प्रावधानों के अधीन दी जाएगी।

15. **वरीयता का अवधारण।**- आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमांक के अनुसार कनीय अभियंता (विद्युत) के पद हेतु वरीयता का अवधारण विभाग द्वारा किया जायेगा। पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कनीय अभियंताओं की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

16. **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील।**- बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग के सदस्यों पर लागू होंगे।

17. **कठिनाईयों का निराकरण।**- इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो।

18. **प्रकीर्ण विषय।**- इस नियमावली या नियमावली के अधीन जारी किये गये आदेशों से अनाच्छादित मामलों के संदर्भ में, इस सेवा के सदस्य, राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिकों के संबंध में लागू संहिताये/नियमावली/संकल्प/अनुदेश द्वारा शासित होंगे।

19. **निर्वचन।**- इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय विभाग को निर्देशित (Refer) किया जायेगा और इस संबंध में विभाग द्वारा, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **विनियमावली बनाने की शक्ति।**- इस नियमावली में विहित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार विनियमावली बना सकेगी।

21. **निरसन एवं व्यावृति।**- (1) इस सेवा/सम्वर्ग के सदस्यों के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर, पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद्द्वारा निरसित किए जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.5.17

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक: 19.5.17

सं0सं0-भवन-3/स्था0-विविध-17/2013 4183 बिहार भवन निर्माण विभाग, अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग भर्ती नियमावली-2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद विहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली-2017 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.5.17

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0.....

(65)

ज्ञापांक:- भवन-3/स्था0-विविध-17/2013.....4183 (अ)...../ पटना, दिनांक:- 19.5.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.5.17
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- भवन-3/स्था0-विविध-17/2013.....4183 (अ)...../ पटना, दिनांक:- 19.5.17

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, ई0 गजट कोषांग, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ भवन निर्माण विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

16.5.17
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- भवन-3/स्था0-विविध-17/2013.....4183 (अ)...../ पटना, दिनांक:- 19.5.17

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.5.17
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- भवन-3/स्था0-विविध-17/2013.....4183 (अ)...../ पटना, दिनांक:- 19.5.17

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.5.17
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- भवन-3/स्था0-विविध-17/2013.....4183 (अ)...../ पटना, दिनांक:- 19.5.17

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16.5.17
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।